संख्या : 1346/नौ-4-12-41ईओ/97

प्रेषक,

प्रवीर कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
स्थानीय निकाय,
उ0प्र0 लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-4 लखनऊः दिनांकः 29 सितम्बर, 2012

विषय : उ0प्र0पालिका (केन्द्रीयित) प्रशासी(प्रवर) सेवा में अपर नगर आयुक्त के पदों पर नियुक्ति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0पालिका (केन्द्रीयित) प्रशासी (प्रवर) सेवा में अपर नगर आयुक्त के पदों पर नियुक्ति के संबंध में शासनादेश संख्या-450/नौ-4-95-122ईओ/94, दि0-10.2.95 में यह व्यवस्था है कि किसी व्यक्ति को अपर मुख्य नगर अधिकारी सम्प्रति अपर नगर आयुक्त के रूप में तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक कि वह ज्येष्ठतम वेतनमान में उपनगर अधिकारी सम्प्रति उपनगर आयुक्त न हो।

2. उ0प्र0पालिका (केन्द्रीयित) सेवा (तेईसवां संशोधन) नियमावली, 2006 के नियम-3 में उ0प्र0 पालिका (केन्द्रीयित) प्रशासी (प्रवर) सेवा के पदों का पद क्रम निम्नवत् है :

(एक) नगर निगमों के अपर नगर आयुक्त,
(दो) नगर निगमों के उप नगर आयुक्त,
(तीन) नगर निगमों के सहायक नगर आयुक्त,
(चार) श्रेणी-एक की नगर पालिका परिषदों के अधिशासी अधिकारी,
(पांच) श्रेणी-2 की नगर पालिका परिषदों के अधिशासी अधिकारी,
(छः) नगर निगम, कानपुर के अनुभागीय अधिकारी।

3. उल्लेखनीय है कि उ0प्र0पालिका (केन्द्रीयित) प्रशासी (प्रवर) सेवा के उक्त पद उ0प्र0 पालिका(केन्द्रीयित) सेवा नियमावली, 1966 के अनुसूची-1 के पद हैं। सेवा नियमावली, 1966 के नियम-6(1) में यह प्राविधान है कि अनुसूची-1 में उल्लिखित पद नियम-20 में निर्धारित रीति से पदोन्नति द्वारा भरे जाएंगे। उ0प्र0पालिका (केन्द्रीयित) सेवा नियमावली, 1966 के नियम-20 में व्यवस्था है कि "पदोन्नति द्वारा भर्ती एक चयन समिति के माध्यम से उसी केन्द्रीयित सेवा के ठीक निम्न पदक्रम के सभी पात्र अधिकारियों में से ज्येष्ठता के आधार पर किन्तु अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए की जाएगी।

4. अतः अपर नगर आयुक्त के पद पर नियुक्ति विषयक शासनादेश संख्या-450/नौ-4-95-122ईओ/94, दि0-10.2.95 के प्रस्तर-1 में की गई व्यवस्था को अवक्रमित करते हुए उ0प्र0पालिका(केन्द्रीयित) सेवा नियमावली, 1966 (यथासंशोधित) के नियम-6, सपठित नियम-20 के प्राविधान के दृष्टिगत अपर नगर आयुक्त के पद पर पदोन्नति की प्रक्रिया निम्नवत् निर्धारित की जाती है :-

"अपर नगर आयुक्त के पद पर पदोन्नति उपनगर आयुक्त, वेतनमान रू0 10000-15200 (सम्प्रति वेतन बैण्ड-3-सादृश्य वेतन बैण्ड, वेतनमान रू0 15600-39100- सादृश्य ग्रेड वेतन रू0 6600) के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त कार्मिकों से 'अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता' के आधार पर पदोन्नति द्वारा की जाएगी।"

5. अपर नगर आयुक्त के पद पर पदोन्नति हेतु उप नगर आयुक्त (वेतनमान रू0 10000-15200) सम्प्रति वेतन बैण्ड-3-सादृश्य वेतन बैण्ड, वेतनमान रू0 15600-39100- सादृश्य ग्रेड वेतन रू0 6600 के पद पर कम से कम 02 वर्ष की अर्हकारी सेवा आवश्यक होगी।

6. उक्त शासनादेश संख्या-450/नौ-4-95-122ईओ/94, दिनांक-10.2.95 के शेष उपबन्ध यथावत् रहेंगे।

भवदीय,

(प्रवीर कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या-1346(1)/नौ-4-12-41ईओ/97 तद् दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।
2- उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, आगरा एवं वाराणसी।
3- समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उ0प्र0।
4- वेब मास्टर, नगर विकास विभाग को नगर विकास विभाग की वेब साईट पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से,

(आर0पी0सिंह)
उप सचिव।